

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र.

फर्द अहकाम


मु. नं. 37/17 तारीख रजु 14.6.17

उजवाज - रघुनाथ बनाम भवानी के. ठाणी सैनपुर

प्रार्थना पत्र आस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एकेकेटने प्रार्थना पत्र आस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत ध्याय 212 R.A. पेश किया। जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्र कर अप्रार्थी गण को जरिये नोटिस से तसब कर दिनांक 7-7-17 को पेश हो।

2368-72
14.6.17



उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

7.7.17

प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1 ता. 4 की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा M.A. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं. 5 बाबजूद उपस्थित नहीं है। P.O. का कैंप में पधारे हैं। आर्डर दि. 28.7.17 को पेश हो।

28.7.17

स्कूलाय उप०। अप्रार्थी नं. 5 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है। जब पेश करने दि. 7.9.17 को पेश हो।


उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क

फर्क अहकाम

8.3.19 वकूलाय उप०/ बहस हेतु समय-चाहा/ दिनांक/ कार्ये बहस दिनांक 25.3.19 को पेश हो।
 25.3.19

वकूलाय उपस्थित/पीठारन अधिकारी युनाय
 जयपुर है। अतः पत्रावली गताबुसार
 दिनांक 1.4.19 को पेश हो।
 25.3.19

1.4.19

वकूलाय उप०/ बहस हेतु दिनांक 2.4.19 को पेश हो।

2.4.19

पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगित
 रखा गया है। पीठारन अधिकारी को पत्रावली प्रेषण
 के गताबुसार दिनांक 2.4.19 को पेश हो।
 2.4.19

9.4.19 वकूलाय उपस्थित/पीठारन अधिकारी युनाय
 कार्ये बहस है। अतः पत्रावली गताबुसार
 दिनांक 2.5.19 को पेश हो।

28.5.19

वकूलाय उप०/ बहस हेतु समय-चाहा/ पत्रावली
 दिनांक 28.5.19 को पेश हो।

28.5.19

पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपक्ष उपस्थित।
 प्रकृशण प्रार्थी वकील ने बहस प्रारम्भ करते हुए
 प्रार्थना पत्र में वर्णित लघुओं को दोहराया कि गाम
 कमालपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 2477 रकबा
 1.90 है, 2479 रकबा 0.50 है, कुल कित्ता 2
 कुल रकबा 2.40 है। सहायत हिस्सा 1/3 तथा
 गैर सहायत नं. 1, 2 प्रत्येक 1/3-1/3 हिस्से के
 स्वामिदार काश्तकार हैं। उक्त आराजगीयात का साबिक

(4) श.प.क. 18

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्क अहकाम

दिनांक

रबसराज नंबर 2003/2/2 है। पूर्व खोलेदार जगदीश महाजन से सायल के ससुरा किसन्याजि श्री खरीद की थी। सायल की पत्नि के नाम बेचान जाग बट कठजा करकर गांव कोलाई-चलागवा। किसन्या की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात विरासत से तीन पुत्रों कगोद, रामसिंह, रामजीलाल के नाम आ गई। रामजीलाल की मृत्यु के बाद उसके कारिसन के नाम आ गई एवं उनके मूल में बदयान्ति आ गई। और एगोर नाम रजिस्ट्री नहीं कर गई। गैरसायलान ने कहा कि एगोर नाम रजिस्ट्री करा ली है। हम काश्त करेंगे। कठजा हमारा ही आराजीयात की खोलेदारी एगोर नाम करने के अधिकारी ही इसलिए गैरसायलान को अस्थाफी निषेधारा से पाबन्द को पाबन्द करमाया जावे। वकील गैरसायलान ने जबाब अर्थना पत्र में बर्णित तथ्यों को दोहराया कहा कि किसन्याजि सायल की पत्नि के नाम बेचान नामा लिखा है, नाहि कठजा कराया ही नाहि इन्टोने कभी काश्त की है गैरसायलान-द्वारा खरीद की गई श्रीम को जबल हडफे की गरज से यह गलत व झूठा दावा एवं अर्थना पत्र सस्तुत किया है विवाद गुस्त आराजीयात में हिस्सा 2/3 खरीदशुदा से सायल का दीगा व्यक्तियों का कोई दायेंप किसी प्रकार से नहीं है तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त रिपोर्टों में का के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि सायल हिस्सा 1/3 पर एवं गैरसायलान हिस्सा 2/3 पर का बिजली

[Handwritten signature]


न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

इसलिए प्राथमिक अस्थाई निषेधाज्ञा साधित
स्वार्जि किया जोब।

वहल कक्षील उभयपक्ष पर ~~मम~~ ममन
किया। पत्रावली, दावा-पत्रावली में शामिल दस्तावेजों
का अवलोकन किया। एक अन्य प्रकरण इनवानी
मगवानी देवी वगैरे बनाम रघुनाथ वगैरे प्राथमिक
पर अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 17/17
में भी निर्णय दिनांक 17.5.17 से उक्त अपराधीयार
खं.नं. 2477 रकबा 1.90 है, 2479 रकबा 0.50
कुल कित 2 कुल रकबा 2.40 है पर रिकार्ड एवं
मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए ~~पाबन्द~~
है। अतः उभयपक्षरान को दावा के फैसला
होने तक गुम कमालपुरा स्थित भूमि खसरा
नम्बर 2477 रकबा 1.90 है, 2479 रकबा 0.50 है
कुल कित 2.40 है पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा
के अनुसार रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के
लिए पाबन्द किया जाता है। पत्रावली के सल
शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा-पत्रावली
के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 28.5.2019 को लिखाया
जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दुर्गाप्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)